भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2218

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है

कोयले के आयात हेतु नीति

2218. श्रीमती भारती पारधीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले के आयात की वर्तमान नीति क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने और संबंधित कंपनियों को कोयले के मूल्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले और उस पर लगाए गए प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में कोयले की कमी से निपटने के लिए इसके आयात पर लगाए गए शुल्क को कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयले के आयात में कमी आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या विद्युत उत्पादन के लिए नॉन-कोकिंग कोयले का वहनीय विकल्प उपलब्ध कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्कों का भुगतान करने पर अपने संविदागत मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, वस्तुओं के

आयात को शासित करने वाली विदेश व्यापार नीति के अनुसार कोयले का बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। तथापि, दिसंबर, 2020 से इसे ''मुक्त'' से संशोधित कर ''कोयला आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल में अनिवार्य पंजीकरण के अध्यधीन मुक्त'' किया गया है।

(ख) : सरकार ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करना ताकि कैप्टिव खानों को अन्त्य उपयोग संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति दी जा सके, एमडीओ मोड के जरिए उत्पादन, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि, नई परियोजनाएं और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार तथा वाणिज्यिक खनन के लिए निजी कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी करना शामिल हैं। वाणिज्यिक खनन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (100%) की भी अनुमति दी गई है।

कोयला कंपनियों द्वारा कोयला बिक्री बकाया राशि की लगातार निगरानी की जा रही है और त्वरित रिकवरी के लिए उपभोक्ताओं के साथ नियमित संपर्क किया जाता है। समय-समय पर खातों के निपटान के बाद राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य उत्पादक कंपनियों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कोयला बिक्री बकाया राशि की प्राप्ति की जाती है। कोयला कंपनियां वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए द्विपक्षीय बैठकें करना भी सुनिश्चित कर रही हैं। जिन वाणिज्यिक विवादों को द्विपक्षीय रूप से निपटाया नहीं जा सकता है, उन्हें सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) को भेजा जाता है।

(ग) और (घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वर्ष	कोयले का आयात (मि.ट.)
2021-22	208.93
2022-23	237.67
2023-24	264.53

(i) पिछले तीन वर्षों में कोयले पर आयात शुल्क निम्नानुसार है –

	2022-23			2023-24		2024-25
	22.05.2022 तक	22.05 2022 से	19.11 2022 से	01.02.2023 तक	02.02.2023 से	
कोयले पर आयात शुल्क	1% बीसीडी और 1.5% एआईडीसी	*शून्य	1% बीसीडी और 1.5% एआईडीसी	1% बीसीडी और 1.5% एआईडीसी	2.5% बीसीडी	2.5% बीसीडी

* एन्थ्रासाइट/पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयला और कोकिंग कोल

वर्तमान में कोयले पर 5% की जीएसटी दर और 400 रुपये प्रति टन का जीएसटी मुआवजा उपकर लगता है।

(ii). कोयले पर पहले से ही 2.5% का रियायती शुल्क लागू होता है। कोयले पर शुल्क कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) : देश में कोयले की अधिकांश मांग स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। कोयले की वास्तविक मांग 2022-23 में 1115.04 मि.ट. से बढ़कर 2023-24 में 1237.54 मिलियन टन (मि.ट.) हो गई। कोयले की बढ़ी हुई मांग की तुलना में घरेलू कोयला उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। घरेलू कोयला उत्पादन 2022-23 में 893.19 मि.ट. से 11.71% बढ़कर 2023-24 में, 997.83 मि.ट. हो गया। चालू वर्ष अर्थात अप्रैल 24 से दिसंबर 24 के दौरान कोयले का कुल आयात पिछले वित्त वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 200.19 मि.ट. की तुलना में 183.42 मिलियन टन (मि.ट.) हो गया, जो 8.4% की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयले के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है –

(मात्रा मिलियन टन में और मूल्य मिलियन रुपये में)						
वर्ष	कोकिंग कोल		गैर-कोकिंग कोल		कुल कोयला	
	मात्रा	मूल्य रु.	मात्रा	मूल्य रु.	मात्रा	मूल्य रु.
2019-20	51.83	612668.32	196.70	914652.23	248.54	1527320.55
2020-21	51.20	453552.10	164.05	706688.44	215.25	1160240.54
2021-22	57.12	1027908.35	151.50	1259932.89	208.63	2287841.24
2022-23	56.05	1538399.74	181.62	2297444.02	237.67	3835843.76
2023-24	58.81	1330003.62	205.72	1772150.89	264.53	3102154.51
2023-24 दिसंबर 24 तक	44.39	974011.49	155.80	1363711.82	200.19	2337723.31
2024-25 दिसंबर 24 तक	42.75	798179.53	140.67	1116387.09	183.42	1914566.62

कोयला आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

i. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को उन मामलों में नियामक आवश्यकता के 100% तक बढ़ाया गया है, जहां एसीक्यू को या तो नियामक आवश्यकता (गैर-तटीय) के 90% अथवा 70%, जो भी लागू हो, तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

ii. वर्ष 2020 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए पेशकश किए गए कोयले के साथ-साथ गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

iii. गैर विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी के तहत वॉशरी डेवेलेपर एंड ओपरेटस (डब्ल्यूडीओ) मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयले का इस्तेमाल करते हुए इस्पात' नामक एक नए उप-क्षेत्र बनाने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। संविदा की पूर्ण अवधि के लिए चिन्हित

खानों से इस्पात क्षेत्र को दीर्घावधि कोयला लिंकेज के आश्वासन के साथ नए उप-क्षेत्र के सृजन से देश में धुले हुए कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और देश में इस्पात उद्योग द्वारा घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी, जिससे कोकिंग कोयले के आयात में कमी आएगी।

(च) : गैर-कोकिंग कोयले के संधारणीय विकल्प के रूप में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसीआईएल) द्वारा पहले ही नवीकरणीय ऊर्जा पहलें शुरू की जा चुकी हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत को बेअसर करने और निवल शून्य ऊर्जा कंपनी की दिशा में प्रगति करने के लिए आज की तारीख तक, सीआईएल ने 122.492 मे.वा. सौर परियोजना की क्षमता स्थापित की है। वर्तमान में, एनएलसीआईएल तमिलनाडु के त्रियुनेवेली जिले में स्थित 51 मे.वा. पवन ऊर्जा संयंत्र के साथ-साथ तमिलनाडु तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न जिलों में 1380 मे.वा. के सौर ऊर्जा संयंत्रों का प्रचालन करता है।

****